



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ
आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 5479/2026**

अमलावती

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, नागरिक सचिवालय,
लखनऊ के माध्यम से और अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अतुल कुमार, देव कुमार पाण्डेय, मनीष बरनवाल, रितु शुक्ला,
शिवम कुमार मिश्रा
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 9

**माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान,
माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत,**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य – विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका विपक्षीगणों को याचिकाकर्ता के दिनांक 24.04.2026 के आवेदन पर उपरोक्त आवेदन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके निर्णय लेने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2

एससीसी 1 के मामले में यह टिप्पणी की है कि यदि आवेदन में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है तो एक पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से नहीं बच सकता है और यदि वे इस तरह की जिम्मेदारी से बचते हैं, तो दोषी अधिकारी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161-ए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या विभागीय कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जा सकती है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा **वसीम हैदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम (2021) 2 एडीजे 86: 2020 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 1866** मामले में यह कहना है कि **ललिता कुमारी** (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने के बाद, जिसमें इस न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त की थी कि शिकायतकर्ता को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता या धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वैधानिक उपाय प्राप्त है, उक्त निर्णय के पैराग्राफ-45 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"45. अलग होने से पहले, उपरोक्त चर्चा और विश्लेषण के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को त्वरित संदर्भ और सुविधा के लिए नीचे दर्शाया गया है:-

(1) धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश याचिका शिकायतकर्ता /पीड़ित को धारा 154(3), 156(3), 190 और 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक उपाय का लाभ न उठाने के कारण अस्वीकार की जा सकती है, जब तक कि व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य, (1998) 8 एससीसी 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में सूचीबद्ध चार अपवाद शिकायतकर्ता /पीड़ित के बचाव में न आएँ।

(2) ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पुलिस को वैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश याचिका के अधिकार के मुद्दे से संबंधित नहीं है, जब तक कि धारा 154(3), 156(3), 190 और 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न हो।

(3) संज्ञेय अपराध के संबंध में पहली सूचना देने के बाद शिकायतकर्ता /पीड़ित, पुलिस अधिकारियों को धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश याचिका दायर करने के लिए बाध्य नहीं हो जाता, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई हो।

(4) जिस प्रस्तावित अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना दर्ज की गई है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उस याचिका में पक्षकार होना आवश्यक नहीं है जिसमें पुलिस को धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश रिट जारी करने की मांग की गई हो।

6. इस न्यायालय की राय है कि यदि याचिकाकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने से व्यथित है तो उसके पास धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175) या धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का उचित उपाय है।
7. वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

5 जून, 2026

करन/-

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।